

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रुकमणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

1. मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
89/प्रार्थना पत्र/18	26.03.2018	04.11.2019

सरकार जयें तहसीलदार, बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

राधाकिशन आ. जुवारा कौम मीना, निवासी बिसनपुरा,
तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थी

एवं

2. मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
96/प्रार्थना पत्र/18	28.03.2018	04.11.2019

1. कैलाश आ. रामनारायण जाति मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा
2. लाखा आ. रामनारायण जाति मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा
3. गोपाल आ. रामनारायण जाति मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा

— प्रार्थीगण

बनाम


1. राधाकिशन आ. जुवारा उर्फ जुवाना जाति मीना, ग्राम बिशनपुरा
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बून्दी
3. आवंटन परामर्शदात्री समिति जयें उपखण्ड अधिकारी, बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम,1970

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से श्री परोकार सरकार
प्रार्थी सं.1 लगायत 3 की ओर से श्री रामकैलाश नागर, एडवोकेट
अप्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.1 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, एड.
अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की ओर से परोकार सरकार।


जिला कलेक्टर, बून्दी



निर्णय

प्रार्थी एवं प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1975 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर आवंटी राधाकिशन आ0 जुवारा कौम मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा को किये गये भूमि आवंटन ग्राम बिशनपुरा की कृषि भूमि खसरा संख्या 1695/1997 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं 1660/2027 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा किता दो कुल रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की विषयवस्तु एक समान होने से तथा एक ही आवंटन आदेश के विरुद्ध पेश होने से बाद में पेश हुई पत्रावली संख्या 96/ प्रार्थनापत्र/2018 को पूर्व प्रकरण 89/प्रार्थनापत्र/2018 के संलग्न किया जाकर में एक साथ बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि आवंटी राधाकिशन आ0 जुवारा मीना का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है, अपितु अन्य व्यक्ति का कब्जा काशत है। आवंटी ने समस्त आरक्षित मूल्य जमा नहीं करवाया है। जिससे आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि विवादित आराजी की राजस्व जमाबंदी 2072 से 75 में अप्रार्थी संख्या 1 राधाकिशन आ0 जुवाना मीना गैर खातेदार दर्ज है, किन्तु गैर खातेदार राधाकिशन द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 1660/2027 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा दिनांक 07.11.79 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पिता रामनारायण आ0 कालू जाति मीणा निवासी बिशनपुरा के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर क्रेता को कब्जा दे दिया था, तभी से क्रेता रामनारायण मीणा उक्त खरीदशुदा आराजी पर बहैसियत टिनेन्ट सार्वजनिक रूप से काबिज चला आ रहा है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 राधाकिशन का उक्त आराजी पर दिनांक 07.11.79 को समस्त टिनेन्सी राईट्स समाप्त हो चुके हैं। अपने पिता के बाद उक्त आराजी पर प्रार्थीगण 1 लगायत 3 निरन्तर काबिज काशत चले आ रहे हैं, जो बहैसियत टिनेन्ट काबिज काशज



होने से मुखलफाना कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदार टिनेन्ट हो चुके है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर होस्टाईल टाईटल स्थापित हो चुका है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.01.2018 को मौके की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट रूबरू गवाहान की गई, जिसमें आवंटी का कब्जा काशत नहीं होना पाया गया। इससे जाहिर है कि आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिस कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक प्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 150, आर.आर.डी. 2003 पेज 261, आर.आर.डी. 2017 पेज 393, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 262 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त किये जाने एवं प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पक्ष में नियमन/आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1695/1997 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं 1660/2027 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा किता दो कुल रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बिशनपुरा में विस्थित है, उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1975 से अप्रार्थी को आवंटित हुई थी, राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी राधाकिशन गैर खातेदार दर्ज है। उक्त कृषि भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में होने से आवंटी को बिना जिलाधीश की स्वीकृति बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए गैर खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के संबंध में बेचान अवैध व शून्य है जो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है। बेचान पत्र फर्जी तैयार किया गया है, जिसके आधार पर इन्तकाल भी नहीं खोला गया। इस प्रकार प्रार्थीगण 1 लगायत 3 कूठरचित दस्तावेजों के आधार पर विधिसम्मत तरीक के किये गये आवंटन को खारिज करवाना चाहते है, यह कार्यवाही गैर कानूनी है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का पूर्ण पालन करने के उपरान्त आवंटी को गैर खातेदारी दी गई है और आवंटी ही उक्त भूमि पर काबिज काशत रहा है। प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो 42 वर्ष बाद प्रस्तुत किये जाने से समयावधि से बाधित है, जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2000 पेज 414, आर.बी.जे. 2002 पेज 566, आर.आर.डी. 2016 पेज 163, आर.आर. डी. 2018 पेज 479 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।



न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी राधाकिशन आ० जुवाना उर्फ जुवारा कौम मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा को मिसल नंबर 558/75 पर दिनांक 08.11.1975 को ग्राम बिशनपुरा की भूमि खसरा संख्या 1695/1997 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं 1660/2027 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा किता दो कुल रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा का आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम गुढानाथावतान द्वारा आवंटन किया जाना प्रकट है। इस पर प्रार्थी को आपत्ति है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है, अपितु वर्तमान में अन्य व्यक्तियों का कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि वकील अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काशत है तथा आवंटी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना की गई है। पत्रावली संख्या 89/प्रार्थना पत्र/18 पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2018 ग्राम बिशनपुरा के अवलोकन से जाहिर है कि गैर खातेदार राधाकिशन का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है अपितु अन्य व्यक्तियों का कब्जा काशत है। तहसीलदार बून्दी द्वारा आवंटी का कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने की अभिशंभा करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) पेश किया गया है। पत्रावली संख्या 96/प्रार्थना पत्र/18 पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा मिसल संख्या 422/दावा/16 बउनवान रामनारायण बनाम राधाकिशन में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर आया कि आवंटी राधाकिशन मीना द्वारा आराजी खसरा संख्या 1660/2027 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा दिनांक 07.11.79 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर रामनारायण आ० कालू जाति मीणा निवासी बिशनपुरा के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर केता को कब्जा दे दिया था, किन्तु उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होने से इसका राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो सका तथा बेचान हो जाने पर भी आवंटी ही गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहा। आवंटी द्वारा गैर खातेदारी की भूमि का बेचान कर दिये जाने से उक्त भूमि पर आवंटी का खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका है। तहसीलदार बून्दी को वादग्रस्त आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही पेश कर आवंटी के हक में हुये आवंटन को निरस्त करवाये जाने की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बून्दी द्वारा यह कार्यवाही पेश की गई। इस प्रकार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होना प्रकट है तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा गैर खातेदारी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये बिना ही एक खसरा संख्या 1660/2027 की भूमि का बेचान कर दिये जाने से तथा आवंटी का आवंटित सम्पूर्ण भूमि पर ही कब्जा काश्त नहीं होने से, आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिससे अब उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1975 से राधाकिशन आ0 जुवाना उर्फ जुवारा कौम मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा को आवंटित भूमि खसरा संख्या 1695/1997 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं 1660/2027 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा कित्ता दो कुल रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बिशनपुरा का किया गया आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति इस प्रकरण के संलग्न पत्रावली संख्या 96/2018 में भी शामिल की जावे।

१
(**रुक्मणि रियार सिहाग**)
जिला कलेक्टर बून्दी

